

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- रथा.(रा.न्या.से.)अवकाश/ २७५ /2022 दिनांक: - २५ .01.2022

विधि एवं विधिक कार्य विभाग (न्याय) प्रकोष्ठ, जयपुर के आदेश क्रमांक प.11.(3) न्याय/2002, दिनांक 08.09.2005 सप्तित राजकीय सेवा नियम 1951 के नियम 91-ए के तहत राजस्थान न्यायिक सेवा के अधिकारीगण को दिनांक 01.04.2000 से दो वर्षों के प्रत्येक ब्लॉक में अधिकतम 30 दिवस के उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान अनुशेया किया गया है। अतः निम्न वर्णित अधिकारी को उनके आवेदनानुसार अधोलिखित तालिकानुसार उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान स्वीकृत किया जाता है। जिसकी प्रविष्टी सम्बन्धित अधिकारी की सेवा पुस्तिका में कर दी गई है।

क्र. सं.	नाम अधिकारी एवं पदनाम	समर्पित अवकाश के दिनों की संख्या	ब्लॉक वर्ष	समर्पित अवकाश की दिनांक
1	डॉ. महेन्द्र सोलंकी(RJ0721), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोजत (पाली)।	30	2020 - 2022	04/01/2022

आज्ञा/से,
रजिस्ट्रार (वगीकरण)
25-01-2022

क्रमांक :- रथा.बी.२(4)/04/2013/ ६०४

दिनांक २५ .01.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- प्रमुख शायन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पाली।
- श्री महेन्द्र सोलंकी (RJ0721), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोजत (पाली)।

रजिस्ट्रार (वगीकरण)
25-01-2022

(ममता
२५/१/२०२२ A.O)